

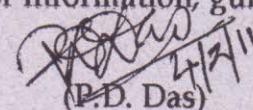
Eastern Railway

No. E 308/0/Vol. XX

Kolkata dated 04/02/2011

All ConcernedNOTIFICATION

The following copy of Railway Board's Notification dated 19/01/2011 (RB/Estt No. 10/2011) docketed under Railway Board's file No. E (D&A) 2009 RG 6-1, to be published in part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, is appended for information, guidance and necessary action.



(P.D. Das)

for Chief Personnel Officer

=====

Copy of Railway Board's Notification dated 19/01/2011 docketed under file No. E (D&A) 2009 RG 6-1 (RB/Estt. No. 10/2011) addressed to General Managers, All Indian Railways and others.

NOTIFICATION

G.S.R. - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968, namely:-

Short title and Commencement -

- (1) These rules may be called the Railway Servants (Discipline and Appeal) First Amendment Rules, 2011.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Railway Servants (Discipline and Appeal), 1968, for Schedule I and Schedule II, the following Schedules shall be substituted, namely:-

SCHEDULE - I[See rule 4 and sub-rule (2) of rule 7]

Sl. No.	Authority empowered to place a Railway servant under suspension or to impose penalties	Class of Railway Servants over whom disciplinary powers can be exercised	Nature of penalties mentioned in Rule 6 which the authorities specified in Column 2 are empowered to impose on Railway Servants mentioned in corresponding entries in Column 3 and powers of that authority to place them under suspension	Appellate Authority
1	2	3	4	5

Contd...2/-

RAILWAY BOARD'S OFFICE

1	2	3	4	5
1.	Secretary, Railway Board	All classes of non-gazetted Railway servants including Group 'B' non-gazetted Ministerial Staff	All penalties and suspension.	Railway Board
2.	Joint Secretary, Railway Board	All classes of non-gazetted Railway servants including Group 'B' non-gazetted Ministerial Staff appointed up to 30 th June, 1988.	Penalties specified in clauses (i) to (vi) and suspension.	Secretary, Railway Board
3.	Joint Secretary, Railway Board	All classes of non-gazetted Railway servants including Group 'B' non-gazetted Ministerial Staff appointed on or after 1 st July, 1988.	All penalties and suspension.	Secretary, Railway Board
4.	Under Secretary, Railway Board	Staff with Grade Pay of up to and including ₹ 1650/- appointed up to 30 th June, 1988.	Penalties specified in clauses (i) to (iv) and suspension.	Joint Secretary, Railway Board
5.	Under Secretary, Railway Board	Staff with Grade Pay of up to and including ₹ 1650/- appointed on or after 1 st July, 1988.	All penalties and suspension.	Joint Secretary, Railway Board

Contd...3/-

RESEARCH, DESIGNS AND STANDARDS ORGANISATION

1	2	3	4	5
1	Junior Administrative Grade/Selection Grade Officers or Senior Administrative Grade Officers or Higher Administrative Grade Officers or Additional Director General or Director General.	All classes of non-gazetted Railway servants including Group 'B' non-gazetted Staff.	All penalties and suspension.	Next higher authority to whom the authority in column 2 is immediately subordinate.
2	Deputy Director and other Officers in Senior Scale or equivalent.	All staff with Grade Pay of up to and including ₹ 2800/-.	Penalties specified in clauses (i) to (vi) and suspension.	Next higher authority to whom the authority in column 2 is immediately subordinate.
3	Junior Scale or Group 'B' Officers (Gazetted)	All staff with Grade Pay of up to and including ₹ 1650/-.	Penalties specified in clauses (i) to (vi) and suspension.	Next higher authority to whom the authority in column 2 is immediately subordinate.
4	Junior Scale or Group 'B' Officers (Gazetted)	All staff with Grade Pay of up to and including ₹ 2400/-.	Penalties specified in clauses (i) to (v) and suspension.	Next higher authority to whom the authority in column 2 is immediately subordinate.
5	Senior Supervisors with Grade Pay of ₹ 4200/- and above.	All staff with Grade Pay of up to and including ₹ 2000/-.	Penalties specified in clauses (i), (iii), (iii-a) and (iv) (no such power can be exercised where inquiry under sub-rule (2) of rule 11 is required) and also suspension subject to report to Junior Scale or Group 'B' (Gazetted) Officer of the respective branch within twenty four hours in the case of Group 'C' staff.	Next higher authority to whom the authority in column 2 is immediately subordinate.

Contd...4/-

RAILWAY STAFF COLLEGE, VADODARA

1	2	3	4	5
1	Director General, Higher Administrative Grade Officers, Senior Administrative Grade Officers, Junior Administrative Grade Officers.	All classes of non-gazetted Railway Servants	Full powers in respect of non-gazetted staff placed under their control (except that only Appointing Authority or above will impose penalties under clauses (vii), (viii) and (ix)).	Next higher authority to whom the authority in column 2 is immediately subordinate.
2	Senior Scale Officers.	All classes of non-gazetted Railway Servants- (a) With Grade Pay of up to and including ₹ 2400/- (b) For whom the officer concerned is the appointing authority.	(a) Penalties specified in clauses (i) to (iv) and suspension. (b) Penalties specified in clauses (vii) to (ix)	Next higher authority to whom the authority in column 2 is immediately subordinate.
3	Officers in Junior Scale or Group 'B' (Gazetted).	All classes of non-gazetted Railway Servants- (a) with Grade Pay of up to and including ₹ 2000/- (b) for whom the officer concerned is the appointing authority.	(a) Penalties specified in clauses (i) to (iv) and suspension. (b) Penalties specified in clauses (vii) to (ix)	Next higher authority to whom the authority in column 2 is immediately subordinate.

Contd...5/-

INDIAN RAILWAYS' INSTITUTE OF CIVIL ENGINEERING, PUNE
INDIAN RAILWAYS' INSTITUTE OF ELECTRICAL ENGINEERING, NASIK
INDIAN RAILWAYS' INSTITUTE OF MECHANICAL ELECTRICAL ENGINEERING, JAMALPUR
INDIAN RAILWAYS' INSTITUTE OF SIGNAL ENGINEERING AND TELECOMMUNICATIONS,
SECUNDERABAD

1	2	3	4	5
1	Director, Senior Administrative Grade Officers (other than Director), Junior Administrative Grade Officers.	All classes of non-gazetted Railway Servants	Full powers in respect of non-gazetted staff placed under their control (except that only Appointing Authority or above will impose penalties under clauses (vii), (viii) and (ix)).	Next higher authority to whom the authority in column 2 is immediately subordinate.
2	Senior Scale Officers.	All classes of non-gazetted Railway Servants- (a) with Grade Pay of up to and including ₹ 2400/- (b) for whom the officer concerned is the appointing authority.	(a) Penalties specified in clauses (i) to (iv) and suspension. (b) Penalties specified in clauses (vii) to (ix)	Next higher authority to whom the authority in column 2 is immediately subordinate.
3	Officers in Junior Scale or Group 'B' (Gazetted).	All classes of non-gazetted Railway Servants- (a) with Grade Pay of up to and including ₹ 2000/- (b) for whom the officer concerned is the appointing authority.	(a) Penalties specified in clauses (i) to (iv) and suspension. (b) Penalties specified in clauses (vii) to (ix)	Next higher authority to whom the authority in column 2 is immediately subordinate.

RAILWAY RECRUITMENT BOARDS

1	2	3	4	5
1	Chairman	All classes of non-gazetted Railway Servants	All penalties and suspension.	Railway Board.

Contd...6/-

RAILWAY RATES TRIBUNAL

1	2	3	4	5
1	Chairman	All classes of non-gazetted Railway Servants	All penalties and suspension.	Railway Board.
2	Secretary	All classes of non-gazetted Railway Servants	Penalties specified in clauses (i) to (iv) and suspension.	Chairman, Railway Rates Tribunal.

RAILWAY LIAISON OFFICE

1	2	3	4	5
1	Joint Secretary, Railway Board	All classes of non-gazetted Railway Servants	All penalties and suspension.	Railway Board.

ALL OTHER OFFICES (NOT SHOWN ABOVE)

1	2	3	4	5
1	Head of Office	All classes of non-gazetted Railway Servants	All penalties and suspension.	Railway Board.

Note:

- (1) The Railway Board may impose any of the penalties specified in rule 6 on all non-gazetted Railway Servants employed in the offices mentioned in this schedule and place them under suspension.
- (2) The penalty of compulsory retirement or removal or dismissal from service shall be imposed only by the Appointing Authority or an authority of equivalent rank or a higher authority.

Contd...7/-

SCHEDULE - II

[See rule 4 and sub-rule (2) of rule 7]

Schedule of Disciplinary powers and powers of suspension of different grades of Railway Officers and Senior Supervisors in respect of non-gazetted staff of Zonal Railways, Chittaranjan Locomotive Works, Diesel Locomotive Works, Integral Coach Factory, Rail Wheel Factory, Metro Railway (Kolkata), Diesel Loco Modernisation Works (Patiala), Railway Coach Factory (Kapurthala), Railway Electrification Projects and Metropolitan Transport Projects (Railways).

Sl. No.	Authority empowered to place a Railway servant under suspension or to impose penalties under Rule 6.	Class of Railway Servants over whom disciplinary powers can be exercised.	Nature of penalties mentioned in rule 6 which the authority in column 2 is empowered to impose on Railway Servants mentioned in corresponding entries in Column 3 and powers of that authority to place them under suspension.	Appellate Authority
1	2	3	4	5
	Senior Supervisors incharge with Grade Pay ₹ 4200/- and above. (Described as Supervisors In-charge by the Railway Administration for this purpose).	All staff who are three grades (Grade Pay) below and lower than the Disciplinary Authority.	Penalties specified in clauses (i) to (iv) (no such power can be exercised where inquiry under sub-rule (2) of rule 11 is required) and suspension subject to report to Divisional Officer or Assistant Officer In-charge within twenty four hours in the case of Group 'C' staff.	Assistant Officers (Junior Scale and Group 'B') (Gazetted)
2	Assistant Officers (Junior Scale and Group 'B') (Gazetted)	All staff with Grade Pay of up to and including ₹ 2400/-.	Penalties specified in clauses (i) to (v) and suspension. Also Penalty specified in clause (vi) on staff with Grade Pay of up to and including ₹ 1650/- only.	Senior Scale Officers and Assistant Officers (Junior Scale and Group 'B') (Gazetted) holding independent charge).

Contd...8/-

1	2	3	4	5
3	Senior Scale Officers and Assistant Officers (Junior Scale and Group 'B' (Gazetted) holding independent charge)	All staff with Grade Pay of up to and including ₹ 2800/- .	Penalties specified in clauses (i) to (vi) and suspension.	Junior Administrative Grade Officers and Senior Scale Officers holding independent charge or In-charge of a Department in the Division.
4	Junior Administrative Grade Officers and Senior Scale Officers holding independent charge or In-charge of a Department in the Division.	All classes of non-gazetted staff.	Penalties specified in clauses (i) to (vi) and suspension.	Additional Divisional Railway Managers in relation to the departments attached to them or Divisional Railway Managers.
5	Additional Divisional Railway Managers in relation to the departments attached to them or Divisional Railway Managers.	All classes of non-gazetted staff.	Penalties specified in clauses (i) to (vi) and suspension.	Senior Administrative Grade Officers in the Zonal Railways' Head Quarters in Pay Band-4 with Grade Pay ₹ 10000/- including Principal Heads of Departments in Pay Band-4 with Grade Pay ₹ 12000/-.
6	Senior Administrative Grade Officers in the Zonal Railways' Head Quarters in Pay Band-4 with Grade Pay ₹ 10000/- including Principal Heads of Departments in Pay Band-4 with Grade Pay ₹ 12000/-.	All classes of non-gazetted staff.	Penalties specified in clauses (i) to (vi) and suspension.	Additional General Managers in relation to departments attached to them or Chief Administrative Officers or General Managers.
7	Additional General Managers in relation to departments attached to them or Chief Administrative Officers or General Managers.	All classes of non-gazetted staff.	Penalties specified in clauses (i) to (vi) and suspension.	Railway Board.
8	Railway Board.	All classes of non-gazetted staff.	Penalties specified in clauses (i) to (vi) and suspension.	President

Contd...9/-

Note:

- (1) An Appointing authority or an authority of equivalent rank or any higher authority shall be competent to impose the penalties specified in clauses (vii), (viii) and (ix) of rule 6.
- (2) Where the post of appellate authority as shown in column 5 is vacant, then, in that case, the next higher authority shown in the row just below that authority shall be the appellate authority.
- (3) The appointing authority or an authority of equivalent rank or any higher authority who is competent to impose the penalty of dismissal or removal or compulsory retirement from service, may also impose any lower penalty.

Note:- Principal rules were published in notification number S.O. 3181 dated the 14th September, 1968 and subsequently amended vide numbers:-

1. S.O. No. 1531 dated the 26th April, 1969
2. S.O. No. 1925 dated the 8th May, 1971
3. S.O. No. 2501 dated the 3rd July, 1971
4. S.O. No. 5078 dated the 6th November, 1971
5. S.O. No. 4050 dated the 30th October, 1971
6. S.O. No. 5264 dated the 4th December, 1971
7. S.O. No. 9467 dated the 8th April, 1972
8. S.O. No. 3918 dated the 25th November, 1972
9. Notification No. E(D&A) 69 RG 6-9 dated the 5th February, 1973
10. S.O. No. 2897 dated the 6th October, 1973
11. S.O. No. 1413 dated the 14th May, 1977
12. S.O. No. 2193 dated the 29th July, 1978
13. S.O. No. 364 dated the 23rd December, 1978
14. Notification No. E(D&A) 77 RG 6-30 dated the 7th April, 1978
15. S.O. No. 3057 dated the 8th September, 1979
16. S.O. No. 3777 dated the 17th November, 1979
17. S.O. No. 3990 dated the 8th December, 1979
18. S.O. No. 143 dated the 19th January, 1980
19. S.O. No. 441 dated the 23rd February, 1980
20. Notification No. E(D&A) 81 RG 6-72 dated the 31st August, 1982
21. GSR No. 982 dated the 17th December, 1983
22. GSR No. 632 dated the 23rd June, 1984
23. S.O. No. 1822 dated the 27th April, 1985

Contd...10/-

24. S.O. No. 5667 dated the 6th July, 1985
25. GSR No. 667 dated the 22nd February, 1986
26. GSR No. 241 dated the 4th April, 1987
27. GSR No. 708 dated the 19th September, 1987
28. GSR No. 869 dated the 21st November, 1987
29. GSR No. 420 dated the 21st May, 1988
30. GSR No. 739 dated the 17th September, 1988
31. GSR No. 850 dated the 11th November, 1989
32. GSR No. 900 dated the 2nd December, 1989
33. GSR No. 734 dated the 8th December, 1990
34. GSR No. 723 dated the 1st December, 1990
35. Notification No. E(D&A) 91 RG 6-42 dated the 8th June, 1991
36. GSR No. 568 dated the 5th October, 1991
37. GSR No. 86 dated the 22nd February, 1992
38. GSR No. 504 dated the 14th November, 1989
39. Notification No. E(D&A) 92 RG 6-148 dated the 9th November, 1992
40. GSR No. 63 dated the 30th January, 1993
41. GSR No. 327 dated the 16^h July, 1994
42. GSR No. 106 dated the 6th June, 1998
43. GSR No. 422 dated the 27th December, 1997
44. GSR No. 87 dated the 20th March, 1999
45. GSR No. 385 dated the 20th November, 1999
46. GSR No. 617 dated the 24th November, 2001
47. GSR No. 342 dated the 24th August, 2002
48. GSR No. 50 dated the 1st February, 2003
49. GSR No. 134 dated the 29th March, 2003
50. GSR No. 376 dated the 30th October, 2004
51. GSR No. 62 dated the 19th February, 2005
52. GSR No. 195 dated the 11th June, 2005
53. GSR No. 226 dated the 9th July, 2005
54. GSR No. 190 dated the 29th July, 2006

Index No.1033:- Notification regarding amendment of Schedule - I and Schedule - II of RS (D&A) Rules 1968.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 19.01.2011

अधिसूचना

सा.का.नि..... राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

लघु नाम और प्रारंभ-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल सेवक (अनुशासन और अपील) पहला संशोधन नियम, 2011 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रेल सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 में, अनुसूची I और अनुसूची II के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

अनुसूची-I

(नियम 4 और नियम 7 का उपनियम (2) देखें)

क्र. सं.	रेल सेवकों को निर्लंबित करने या शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी	रेल सेवकों का वह वर्ग जिन पर अनुशासनिक शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है.	नियम 6 में उल्लिखित शास्तियों की प्रकृति जिसे कॉलम 2 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी कॉलम 3 की तदनुरूपी प्रविष्टियों में उल्लिखित रेल सेवकों पर अधिरोपित करने में सक्षम है और उस प्राधिकारी की उन रेल सेवकों को निर्लंबित करने की शक्तियां	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5

रेलवे बोर्ड कार्यालय

1	2	3	4	5
1.	सचिव, रेलवे बोर्ड	समूह 'ख' अराजपत्रित लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग सहित अराजपत्रित रेल सेवकों के सभी वर्ग।	सभी शास्तियां एवं निलंबन।	रेलवे बोर्ड
2.	संयुक्त सचिव, रेलवे बोर्ड	30 जून, 1988 तक नियुक्त समूह 'ख' अराजपत्रित लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग सहित अराजपत्रित रेल सेवकों के सभी वर्ग।	खंड (i) से (vi) में विनिर्दिष्ट शास्तियां और निलंबन।	सचिव, रेलवे बोर्ड
3.	संयुक्त सचिव, रेलवे बोर्ड	1 जुलाई, 1988 को या उसके बाद नियुक्त समूह 'ख' अराजपत्रित लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग सहित अराजपत्रित रेल सेवकों के सभी वर्ग।	सभी शास्तियां और निलंबन।	सचिव, रेलवे बोर्ड
4.	अवर सचिव, रेलवे बोर्ड	30 जून, 1988 तक नियुक्त ₹1650/- तक और उसके सहित, ग्रेड वेतन वाले कर्मचारी वर्ग।	खंड (i) से (iv) में विनिर्दिष्ट शास्तियां और निलंबन।	संयुक्त सचिव, रेलवे बोर्ड
5.	अवर सचिव, रेलवे बोर्ड	1 जुलाई, 1988 को या उसके बाद नियुक्त ₹1650/- तक और उसके सहित, ग्रेड वेतन वाले कर्मचारी वर्ग।	सभी शास्तियां और निलंबन।	संयुक्त सचिव, रेलवे बोर्ड

अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन

1	2	3	4	5
1.	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/चयन ग्रेड अधिकारी या वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी या उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी या अपर महानिदेशक या महानिदेशक।	समूह 'ख' अराजपत्रित कर्मचारी वर्ग सहित अराजपत्रित रेल सेवकों के सभी वर्ग।	सभी शास्तियां और निलंबन।	अगला उच्चतर प्राधिकारी जिसका कॉलम 2 का प्राधिकारी सीधे अधीनस्थ है।
2.	उपनिदेशक और वरिष्ठ वेतनमान में अन्य अधिकारी या सभ्यकक्ष।	₹2800/- तक और उसके सहित, ग्रेड वेतन वाले सभी कर्मचारी वर्ग।	खंड (i) से (vi) में विनिर्दिष्ट शास्तियां और निलंबन।	अगला उच्चतर प्राधिकारी जिसका कॉलम 2 का प्राधिकारी सीधे अधीनस्थ है।
3.	कनिष्ठ वेतनमान या समूह 'ख' अधिकारी (राजपत्रित)	₹1650/- तक और उसके सहित, ग्रेड वेतन वाले सभी कर्मचारी वर्ग।	खंड (i) से (vi) में विनिर्दिष्ट शास्तियां और निलंबन।	अगला उच्चतर प्राधिकारी जिसका कॉलम 2 का प्राधिकारी सीधे अधीनस्थ है।
4.	कनिष्ठ वेतनमान या समूह 'ख' अधिकारी (राजपत्रित)	₹2400/- तक और उसके सहित ग्रेड वेतन वाले सभी कर्मचारी वर्ग।	खंड (i) से (v) में विनिर्दिष्ट शास्तियां और निलंबन।	अगला उच्चतर प्राधिकारी जिसका कॉलम 2 का प्राधिकारी सीधे अधीनस्थ है।

5.	₹4200/- और उससे अधिक के ग्रेड वेतन वाले वरिष्ठ पर्यवेक्षक।	₹2000/- तक और उसके सहित ग्रेड वेतन वाले सभी कर्मचारी वर्ग।	खंड (i), (iii), (iii-क) और (iv) में विनिर्दिष्ट शास्तियां (ऐसी किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है जहां नियम 11 के उप नियम (2) के अधीन जांच अपेक्षित हो) और निलंबन भी बशर्ते समूह 'ग' कर्मचारी वर्ग के मामले में संबंधित शाखाओं के कनिष्ठ वेतनमान या समूह 'ख' (राजपत्रित) अधिकारी को 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट करने के अधीन रहते हुए।	अगला उच्चतर प्राधिकारी जिससे कॉलम 2 का प्राधिकारी सीधे अधीनस्थ है।
----	--	--	--	--

रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा

1	2	3	4	5
1.	महानिदेशक, उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी, कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी।	अराजपत्रित रेल सेवकों के सभी वर्ग।	उनके नियंत्रणाधीन अराजपत्रित कर्मचारियों के संबंध में पूर्ण शक्तियां (सिवाय इसके कि केवल नियुक्ति प्राधिकारी या उससे ऊपर का प्राधिकारी, खंड (vii), (viii) और (ix) के अधीन शास्तियां अधिरोपित करेगा)	अगला उच्चतर प्राधिकारी जिससे कॉलम 2 का प्राधिकारी सीधे अधीनस्थ है।
2.	वरिष्ठ वेतनमान अधिकारी	अराजपत्रित रेल सेवकों के सभी वर्ग (क) ₹2400/- तक और उसके सहित के ग्रेड वेतन वाले। (ख) जिनके लिए संबंधित अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी हैं।	(क) खंड (i) से (iv) में विनिर्दिष्ट शास्तियां और निलंबन। (ख) खंड (vii) से (ix) में विनिर्दिष्ट शास्तियां।	अगला उच्चतर प्राधिकारी जिससे कॉलम 2 का प्राधिकारी सीधे अधीनस्थ है।
3.	कनिष्ठ वेतनमान या समूह 'ख' (राजपत्रित) अधिकारी	अराजपत्रित रेल सेवकों के सभी वर्ग - (क) ₹2000/- तक और उसके सहित के ग्रेड वेतन वाले। (ख) जिनके लिए संबंधित अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी हैं।	(क) खंड (i) से (iv) में विनिर्दिष्ट शास्तियां और निलंबन। (ख) खंड (vii) से (ix) में विनिर्दिष्ट शास्तियां	अगला उच्चतर प्राधिकारी जिससे कॉलम 2 का प्राधिकारी सीधे अधीनस्थ है।

भारतीय रेल सिविल इंजीनियरी संस्थान, पुणे
भारतीय रेल बिजली इंजीनियरी संस्थान, नासिक
भारतीय रेल यांत्रिक और बिजली इंजीनियरी संस्थान, जमालपुर
भारतीय रेल सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियरी संस्थान, सिकंदराबाद

1	2	3	4	5
1.	निदेशक, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी (निदेशक से भिन्न), कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी	अराजपत्रित रेल सेवकों के सभी वर्ग	उनके नियंत्रणाधीन अराजपत्रित कर्मचारियों के संबंध में पूर्ण शक्तियां (सिवाय इसके कि केवल नियुक्ति प्राधिकारी या उससे ऊपर के प्राधिकारी खंड (vii), (viii) एवं (ix) के अधीन शास्तियां अधिरोपित करेगा।	अगला उच्चतर प्राधिकारी जिससे कॉलम 2 का प्राधिकारी सीधे अधीनस्थ है।
2.	वरिष्ठ वेतनमान अधिकारी	अराजपत्रित रेल सेवकों के सभी वर्ग - (क) ₹2400/- तक और उसके सहित के ग्रेड वेतन वाले (ख) जिनके लिए संबंधित अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी है।	(क) खंड (i) से (iv) में विनिर्दिष्ट शास्तियां और निलंबन। (ख) खंड (vii) से (ix) में विनिर्दिष्ट शास्तियां।	अगला उच्चतर प्राधिकारी जिससे कॉलम 2 का प्राधिकारी सीधे अधीनस्थ है।
3.	कनिष्ठ वेतनमान में या समूह 'ख' (राजपत्रित) अधिकारी।	अराजपत्रित रेल सेवकों के सभी वर्ग - (क) ₹2000/- तक और उसके सहित के ग्रेड वेतन वाले। (ख) जिनके लिए संबंधित अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी है।	(क) खंड (i) से (iv) में विनिर्दिष्ट शास्तियां और निलंबन। (ख) खंड (vii) से (ix) में विनिर्दिष्ट शास्तियां।	अगला उच्चतर प्राधिकारी जिससे कॉलम 2 का प्राधिकारी सीधे अधीनस्थ है।

रेलवे भर्ती बोर्ड

1	2	3	4	5
1.	अध्यक्ष	अराजपत्रित रेल सेवकों के सभी वर्ग	सभी शास्तियां और निलंबन	रेलवे बोर्ड

रेल दर अधिकरण

1	2	3	4	5
1.	अध्यक्ष	अराजपत्रित रेल सेवकों के सभी वर्ग	सभी शास्तियां और निलंबन	रेलवे बोर्ड
2.	सचिव	अराजपत्रित रेल सेवकों के सभी वर्ग	खंड (i) से (iv) में विनिर्दिष्ट शास्तियां और निलंबन	अध्यक्ष, रेल दर अधिकरण

रेल संपर्क कार्यालय

1	2	3	4	5
1.	संयुक्त सचिव, रेलवे बोर्ड	अराजपत्रित रेल सेवकों के सभी वर्ग	सभी शास्तियां और निलंबन	रेलवे बोर्ड

अन्य सभी कार्यालय (जो ऊपर दर्शाए नहीं गए हैं)

1	2	3	4	5
1.	कार्यालय का प्रधान	अराजपत्रित रेल सेवकों के सभी वर्ग	सभी शास्तियां और निलंबन	रेलवे बोर्ड

टिप्पणी :-

- (1) रेलवे बोर्ड इस अनुसूची में वर्णित कार्यालयों में नियोजित सभी अराजपत्रित रेल सेवकों पर नियम 6 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित कर सकेगा और उन्हें निलंबित कर सकेगा।
- (2) सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति, या हटाया जाना या पदच्युति की शास्ति केवल नियुक्ति प्राधिकारी या समतुल्य पंक्ति के प्राधिकारी या उच्चतर प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाएगी।

---/-

अनुसूची-II

(नियम 4 और नियम 7 का उपनियम (2) देखें)

क्षेत्रीय रेलों, चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना, डीजल रेल इंजन कारखाना, सवारी डिब्बा कारखाना, रेल पहिया कारखाना, मेट्रो रेल (कोलकाता), डीजल रेल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना (पटियाला), रेल सवारी डिब्बा कारखाना (कपूरथला), रेल विद्युतीकरण परियोजना और महानगर परिवहन परियोजना (रेल) के अराजपत्रित कर्मचारी वर्ग से संबंधित विभिन्न ग्रेडों के रेल अधिकारियों और वरिष्ठ पर्यवेक्षकों की अनुशासनिक शक्तियों और निलंबित करने की शक्तियों की अनुसूची

क्र. सं.	रेल सेवकों को निलंबित करने या नियम 6 के अधीन शास्तियां अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी	रेल सेवकों का वह वर्ग जिन पर अनुशासनिक शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा।	नियम 6 में उल्लिखित शास्तियों की प्रकृति जिसे कॉलम 2 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी कॉलम 3 की तदनुरूपी प्रविष्टियों में उल्लिखित रेल सेवकों पर अधिरोपित करने में सक्षम है और उस प्राधिकारी की उन रेल सेवकों को निलंबित करने की शक्तियां।	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5
1.	₹4200/- और उससे अधिक के ग्रेड वेतन में प्रभारी वरिष्ठ पर्यवेक्षक (इस प्रयोजन के लिए रेल प्रशासन द्वारा प्रभारी पर्यवेक्षक के रूप में वर्णित)	सभी कर्मचारी वर्ग जो अनुशासनिक प्राधिकारी से तीन ग्रेड (ग्रेड वेतन) नीचे और निम्न पद पर हैं।	खंड (i) से (iv) में विनिर्दिष्ट शास्तियां (ऐसी किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है जहां नियम 11 के उप नियम (2) के अंतर्गत जांच अपेक्षित हो) और निलंबन, समूह 'ग' कर्मचारी वर्ग के मामले में विभागीय अधिकारी या प्रभारी सहायक अधिकारी को 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट करने के अधीन रहते हुए।	सहायक अधिकारी (कनिष्ठ वेतनमान और समूह 'ख') (राजपत्रित)।
2.	सहायक अधिकारी (कनिष्ठ वेतनमान और समूह 'ख') (राजपत्रित)	₹2400/- तक और उसके सहित ग्रेड वेतन वाले सभी कर्मचारी वर्ग।	खंड (i) से (v) में विनिर्दिष्ट शास्तियां और निलंबन। ₹1650/- तक और उसके सहित ग्रेड वेतन वाले कर्मचारी वर्ग पर खंड (vi) में भी विनिर्दिष्ट शास्ति।	वरिष्ठ वेतनमान के अधिकारी और सहायक अधिकारी (स्वतंत्र रूप से कार्यभार धारण करने वाले कनिष्ठ वेतनमान और समूह 'ख') (राजपत्रित)।
3.	वरिष्ठ वेतनमान अधिकारी और सहायक अधिकारी (स्वतंत्र रूप से कार्यभार धारण)	₹2800/- तक और उसके सहित ग्रेड वेतन वाले सभी कर्मचारी वर्ग।	खंड (i) से (vi) में विनिर्दिष्ट शास्तियां और निलंबन।	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी और स्वतंत्र रूप से कार्यभार धारण

1950

- (वी.के. गुप्ता)

सचिव, रेलवे बोर्ड

(फाइल सं. ई (डी एंड ए) 2009 आर जी 6-1)

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.3181 दिनांक 14.9.68 के तहत प्रकाशित किए गए तथा तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए:-

- 1 का.आ.सं. 1531 दिनांक 26 अप्रैल, 1969
- 2 का.आ.सं. 1925 दिनांक 8 मई, 1971
- 3 का.आ. सं. 2501 दिनांक 3 जुलाई, 1971
- 4 का.आ.सं. 5078 दिनांक 6 नवंबर, 1971
- 5 का.आ.सं. 4050 दिनांक 30 अक्टूबर, 1971
- 6 का.आ.सं. 5264 दिनांक 4 दिसंबर, 1971
- 7 का.आ.सं. 9467 दिनांक 8 अप्रैल, 1972
- 8 का.आ.सं. 3918 दिनांक 25 नवंबर, 1972
- 9 अधिसूचना सं. ई (डी एंड ए) 69 आर जी 6-9 दिनांक 5 फरवरी, 1973
- 10 का.आ.सं. 2897 दिनांक 6 अक्टूबर, 1973
- 11 का.आ.सं. 1413 दिनांक 14 मई, 1977
- 12 का.आ.सं. 2193 दिनांक 29 जुलाई, 1978
- 13 का.आ.सं. 364 दिनांक 23 दिसंबर, 1978
- 14 अधिसूचना सं. ई (डी एंड ए) 77 आर जी 6-30 दिनांक 7 अप्रैल, 1978
- 15 का.आ.सं. 3057 दिनांक 8 सितंबर, 1979
- 16 का.आ.सं. 3777 दिनांक 17 नवंबर, 1979
- 17 का.आ.सं. 3990 दिनांक 8 दिसंबर, 1979
- 18 का.आ.सं. 143 दिनांक 19 जनवरी, 1980
- 19 का. आ. सं. 441 दिनांक 23 फरवरी, 1980
- 20 अधिसूचना सं. ई (डी एंड ए) 81 आर जी 6-72 दिनांक 31 अगस्त, 1982
- 21 साकानि सं. 982 दिनांक 17 दिसंबर, 1983
- 22 साकानि सं. 632 दिनांक 23 जून, 1984
- 23 का.आ.सं. 1822 दिनांक 27 अप्रैल, 1985
- 24 का.आ.सं. 5667 दिनांक 6 जुलाई, 1985
- 25 साकानि सं. 667 दिनांक 22 फरवरी, 1986
- 26 साकानि सं. 241 दिनांक 4 अप्रैल, 1987
- 27 साकानि सं. 708 दिनांक 19 सितंबर, 1987
- 28 साकानि सं. 869 दिनांक 21 नवंबर, 1987
- 29 साकानि सं. 420 दिनांक 21 मई, 1988
- 30 साकानि सं. 739 दिनांक 17 सितंबर, 1988
- 31 साकानि सं. 850 दिनांक 11 नवंबर 1989
- 32 साकानि सं. 900 दिनांक 2 दिसंबर 1989
- 33 साकानि सं. 734 दिनांक 8 दिसंबर, 1990
- 34 साकानि सं. 723 दिनांक 1 दिसंबर, 1990
- 35 अधिसूचना सं. ई (डी एंड ए) 91 आर जी 6-42 दिनांक 8 जून, 1991
- 36 साकानि सं. 568 दिनांक 5 अक्टूबर, 1991
- 37 साकानि सं. 86 दिनांक 22 फरवरी, 1992
- 38 साकानि सं. 504 दिनांक 14 नवंबर, 1992
- 39 अधिसूचना सं. ई (डी एंड ए) 92 आर जी 6-148 दिनांक 9 नवंबर, 1992

- 40 साकानि सं. 63 दिनांक 30 जनवरी, 1993
- 41 साकानि सं. 327 दिनांक 16 जुलाई, 1994
- 42 साकानि सं. 106 दिनांक 6 जून, 1998
- 43 साकानि सं. 422 दिनांक 27 दिसंबर, 1997
- 44 साकानि सं. 87 दिनांक 20 मार्च, 1999
- 45 साकानि सं. 335 दिनांक 20 नवंबर, 1999
- 46 साकानि सं. 617 दिनांक 24 नवंबर, 2001
- 47 साकानि सं. 34 दिनांक 24 अगस्त, 2002
- 48 साकानि सं. 50 दिनांक 1 फरवरी, 2003
- 49 साकानि सं. 134 दिनांक 29 मार्च, 2003
- 50 साकानि सं. 376 दिनांक 30 अक्टूबर, 2004
- 51 साकानि सं. 62 दिनांक 19 फरवरी, 2005
- 52 साकानि सं. 195 दिनांक 11 जून 2005
- 53 साकानि सं. 226 दिनांक 9 जुलाई, 2005
- 54 साकानि सं. 190 दिनांक 29 जुलाई, 2006

ह-म-के
(हरीश चन्द्र)

उप निदेशक, स्था. (अनु. एवं अपील)
रेलवे बोर्ड

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

रिंग रोड, मायापुरी, इंडस्ट्रियल एरिया,

नई दिल्ली

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :

महाप्रबंधक, सभी क्षेत्रीय रेलें इत्यादि
(मानक सूची I एवं II के अनुसार)

ह-म-के
(हरीश चन्द्र)

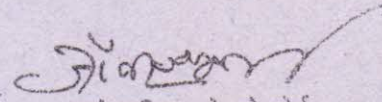
उप निदेशक, स्था. (अनु. एवं अपील)
रेलवे बोर्ड

सं.ई(डीएंडए)2009/आरजी 6-1

नई दिल्ली, दिनांक 19.01.2011

प्रतिलिपि सूचनार्थ निम्नलिखित को प्रेषित:

1. महासचिव, एआईआरएफ, 4 स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
2. महासचिव, एनएफआईआर, 3 चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
3. विभागीय परिषद एवं राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य, सचिव कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (60 अतिरिक्त प्रतियों)।
4. महासचिव, इरपोफ, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (6 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
5. महासचिव, फ्रोआ, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (6 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
6. सचिव, आरबीएसएसएस, 'ग्रुप ए ऑफिसर्स' एसोसिएशन, कमरा नं. 452, रेल भवन, नई दिल्ली।
7. सचिव, आरबीएसएस, 'ग्रुप बी ऑफिसर्स' एसोसिएशन।
8. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप-डी' इंप्लॉईज एसोसिएशन।
10. महासचिव, एआईआरपीएफए, कमरा सं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. सचिव, आरबीएसएसएस, 'ग्रुप ए ऑफिसर्स एसोसिएशन', कमरा नं. 506, रेल भवन, नई दिल्ली।
12. मैसर्स बाहरी ब्रदर्स, 742, लाजपत राय मार्केट, दिल्ली 110 006, पोस्ट बॉक्स नं. 2032.
13. सलाहकार (संरक्षा), रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली।
14. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ।
15. महासचिव, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे इंप्लॉईज एसोसिएशन, कमरा नं. 8, भू-तल, रेल भवन, नई दिल्ली-110 001।
16. महासचिव, रिटायर्ड रेलवे इंप्लॉईज वेलफेयर एसोसिएशन (रजि.) 490ए/16, गुरुद्वारा रोड, गुडगांव।
17. प्रबंधक (एच आर डी), रेल भूमि विकास प्राधिकरण, सफदरजंग रेलवे स्टेशन के पास, मोती बाग-I, नई दिल्ली-110021।
18. मुख्य यांत्रिक इंजीनियर, इंडियन रेलवेज ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल्टरनेट फ्यूल्स, 12वीं मंजिल, कोर-1, स्केप मीनार, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, लक्ष्मी नगर-110092।
19. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय, इंडियन रेलवेज (वर्कशॉप प्रोजेक्ट्स) चैम्बर भवन, जज कोर्ट रोड, अंता घाट, पटना-800001, बिहार।
20. सलाहकार (परियोजना), कमरा नं. 548, रेल मंत्रालय, रेल भवन, नई दिल्ली।
21. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, रेल कोच फैक्ट्री, रायबरेली परियोजना, किशनगंज, दिल्ली-110007।


 कृते सचिव, रेलवे बोर्ड

सं.नं(डीएडन)2009/आरजी 6-1

नई दिल्ली, दिनांक 19.01.2011

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :

1. डीएआई(रेल), नई दिल्ली (40 प्रतियां)
2. लोक सभा/राज्य सभा, सचिवालय, नई दिल्ली.

हरीश चन्द
(हरीश चन्द)

उप निदेशक, स्था. (अनु. एवं अपील)
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि :

महोदय, रेल राज्य मंत्री (ए), रेल राज्य मंत्री (एम) के निजी सचिव, बोर्ड के सभी सदस्यों के प्रमुख स्टाफ अधिकारी तथा अन्य.
